न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध —एक/17 9064-I/17

श्री रजनी व शिष्ठ शर्मा एड. द्वारा आज दि. 17/3/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17.3.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महिला रामकुंवर ——आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन आदि—— अनावेदकगंण

भूल—सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959

17/3/17 श्रीमान महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा विविध प्रकरण कमांक 9011—एक/16 में दिनांक 08.02.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से उक्त आदेश में पृष्ठ कमांक 3 में पैराग्राफ नम्बर 4 में लाइन नम्बर 5 में भूमि ~~संख्या~~ सर्वे कमांक 1664/1/2 के स्थान पर 164/1/2 टंकित हो गया है, एवं 1664/1/3 के स्थान पर 164/1/3 त्रुटिवश टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 3 में पैराग्राफ नम्बर 4 में लाइन नम्बर 5 में भूमि संख्या कमांक 164/1/2 के स्थान पर 1664/1/2 टंकित किया जावे, एवं 164/1/3 के स्थान पर 1664/1/3 टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 17/03/17

स्थान— ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविधि 9064–एक/17 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17.3.17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विविध 9011–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 8.2.17 के आदेश में पृष्ठ कमांक–3 में पैरा–4 की लाइन नम्बर 5 में भूमि सर्वे कमांक 1664/1/2 के स्थान पर 164/1/2 टंकित हो गया है, एवं 1664 /1/3 के स्थान पर 164/1/3 त्रुटिवश टंकित हो गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा भूमि सर्वे कमांक 164/1/2 के स्थान पर 1664/1/2 पढ़ा जावे, एवं इसी प्रकार 164/1/3 के स्थान पर 1664/1/3 पढा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी सदस्य	